



Neutral Citation No. - 2026:AHC:16187

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पी.आई.एल.) संख्या - 3922 वर्ष 2025

सोनू

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 7 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अमर नाथ

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : सी.एस.सी., कौशल किशोर मणि

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री अजय कुमार बरनवाल, तथा प्रतिवादी-ग्राम सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री कौशल किशोर मणि को सुना गया।

2. प्रस्तुत लोकहित याचिका निम्नलिखित राहतों के लिए दाखिल की गई है :-

“(i) परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए प्रतिवादी संख्या 2, 3 एवं 4 को निर्देशित किया जाए कि वे ग्राम- तलड़ा (जौली जंसठ), तहसील- जंसठ, जनपद- मुजफ्फरनगर स्थित आराजी संख्या 134/2, क्षेत्रफल 0.6050 हेक्टेयर, जो राजस्व अभिलेखों में ‘कुम्हारी का मिट्टी खोदने का स्थान’ के रूप में दर्ज है, पर प्रतिवादी संख्या 6 से 8 द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाएं।

(ii) परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए प्रतिवादी संख्या 2 को निर्देशित किया जाए कि वह याचिकाकर्ता के दिनांक 19.11.2025 के प्रार्थना-पत्र पर, जो प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष लंबित है (इस रिट याचिका के परिशिष्ट संख्या 4), निर्धारित अवधि के भीतर आवश्यक कार्यवाही करे।”

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि गाटा संख्या 134/2 राजस्व अभिलेखों में “कुम्हारों का मिट्टी निकालने का स्थान” के रूप में दर्ज है तथा निजी प्रतिवादी उस पर अवैध कब्जे में हैं; अतः प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि वे विवादित भूखण्ड से अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली हेतु आवश्यक कदम उठाएं।

4. उपजिलाधिकारी, जंसठ, मुजफ्फरनगर द्वारा प्रेषित निर्देश अभिलेख पर लिया जाता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने उक्त निर्देश के आधार पर प्रस्तुत किया कि विवादित भूखण्ड के संबंध में निजी प्रतिवादी के विरुद्ध तहसीलदार द्वारा दिनांक 2.4.2024 को बेदखली एवं हर्जाना का आदेश पारित किया गया था। उन्होंने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि निजी प्रतिवादी संख्या 6 से 8 (श्रीमती मुन्नी एवं अन्य) द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत अपील संख्या 3382 सन् 2025 दाखिल की गई है, जिसमें तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध अंतरिम आदेश प्रवर्तित है; अतः प्रस्तुत लोकहित याचिका विचारणीय नहीं है।
6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया तथा अभिलेखों का अवलोकन किया।
7. इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67(5) के अंतर्गत निजी प्रतिवादी द्वारा दाखिल अपील जिलाधिकारी के समक्ष लंबित है तथा तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध अंतरिम आदेश प्रवर्तित है।
8. चूँकि निजी प्रतिवादियों द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67(5) के अंतर्गत दाखिल अपील लंबित है और बेदखली एवं हर्जाना के आदेश के विरुद्ध अंतरिम आदेश प्रवर्तित है, अतः प्रस्तुत लोकहित याचिका विचारणीय नहीं है।
9. तदनुसार, प्रस्तुत लोकहित याचिका निरस्त की जाती है।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

जनवरी 22, 2026

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रमीज़

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।